**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

**(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 14/2014** **दायरा दिनांक : 05.02.2014**

**उनवान**

मदनलाल उर्फ मदनपाल आयु 40 साल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

**उपस्थित –** 1– श्री हितेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

2– पेरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनांक : 02.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 101/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एलआर एक्ट पेश कर यह कथन किया कि ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में वादी को सन् 1988 में खसरा नं. 376 की 15 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका कब्जा देकर दखलनामा बनाया गया था। सेटलमेंट ने इसका नया नम्बर 351 कायम किया। जब हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पिछले 22 वर्षों से वादी का चला आ रहा है। अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 351 रकबा 2.48 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम

कर दिनांक 24–10–2013 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटनशुदा है और अपीलांट के कब्जे में है, परंतु राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय साक्ष्य के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि नकल हेतु अपीलांट ने 28–10–2013 को आवेदन किया, नकल दिनांक 31–10–2013 को प्राप्त हुई। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित हुई थी। अपीलांट के कब्जे में है, परंतु राजस्व रिकार्ड में अमलदरामल नहीं हुआ है। तहसीलदार के पत्र में पिता पुत्र को एक ही परिवार का सदस्य बताया गया है जबकि दोनों अलग रहते है। अपीलांट ने अपने पक्ष को साक्ष्य से प्रमाणित किया था फिर भी दावा खारिज किया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि हाल खसरा नं. 351 के कई बटा नम्बर डाले जाकर कई व्यक्तियों का आवंटित की जा चुकी है। सिवायचक रकबा 0.07 हैक्टर ही बचा है। मौके पर कोई काश्त की स्थिति नही ंहै। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब का शमन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल नामान्तरण संख्या 37 सलंग्न है, जिसमें सिवायचक आराजी में से मदनलाल के पक्ष में

नामान्तरण को अस्वीकार किया गया है। नकल नामान्तरण संख्या 228 सलंग्न है, जिसमें खसरा नं. 315 में से रामनारायण पुत्र रंगलाल को गैरखातेदारी दी गई है। नकल जमाबंदी सवंत् 2066 से 69 के अनुसार गोगराज के खाते में खसरा नं. 351/925 की आराजी दर्ज है। इसी प्रकार पत्रावली पर नकल जमाबंदी सवंत् 2066 से 69 खाता सख्या 252 सलंग्न है और खाता संख्या 134 भी सलंग्न है एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 1, खाता संख्या 337 भी सलंग्न की गई है। मिलान क्षेत्रफल की नकल एक्जीविट 2 है। नक्शा ट्रेस की नकल एक्जीविट 3 है। आवंटन के लिए आवेदन की प्रमाणित प्रति एक्जीविट 4 है। असल दखलनामा एक्जीविट 5 है और रिपोर्ट पटवारी एक्जीविट 6 के रूप में सलंग्न है। बयान मदन लाल पी डब्ल्यू –1 कराये गये है।

वादी के द्वारा आराजी के आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है परंतु आवंटन के उपरांत विधिक रूप से गैरखातेदारी एवं खातेदारी हेतु उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। पत्रावली पर सलंग्न रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नं. 351 की आराजी सिवायचक में 0.07 हैक्टर ही बची है। शेष आराजी चरागाह है अथवा अन्य व्यक्तियों के खाते में दर्ज है। चरागाह आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और न ही पत्रावली पर सलंग्न रिपोर्ट के अनुसार उस पर उसका कब्जा है। वादी ने अपने निरंतर कब्जे के समर्थन में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है, जिस पर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा